

परिशिष्ट – ण-1  
(नियम 16-क देखिए)

**प्रमाण पत्र :** भवन संनिर्माण की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए रेखांक प्रस्तुत करते समय, निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भवन के रेखाचित्र के साथ प्रस्तुत किए जाएं –

1. प्रमाणित किया जाता है कि भवन संनिर्माण के लिए अनुमोदन से संबंधित अनुज्ञा अभिप्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए गए भवन रेखांक में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित अनुलग्नक-क को सम्मिलित करते हुए) के अधीन यथा अनुबद्ध सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है तथा उसमें दी गई सूचना मेरे ज्ञान तथा विश्वास से तथ्यात्मक रूप से सत्य है ।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भवन के डिजाईन में, मिट्टी की स्थिति पर आधारित प्राकृतिक परिसंकटों से सुरक्षा सहित संरचना डिजाईन को सम्यक् रूप से सम्मिलित किया गया है और संनिर्माण के दौरान इन उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

|                                                           |                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वामी के हस्ताक्षर<br>तारीख सहित नाम बड़े<br>अक्षरों में | वास्तुविद् के हस्ताक्षर<br>तारीख सहित नाम बड़े<br>अक्षरों में पता | इंजीनियर/संरचना इंजीनियर<br>के हस्ताक्षर तारीख सहित<br>(जैसा कि नेशनल बिल्डिंग<br>कोड आफ इंडिया परिभाषित है)<br>नाम बड़े अक्षरों में पता |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|